प्रेस नोट

दिनांक- 12.11.2026

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटनाओं में संलिप्त 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी की भैंसों की बिक्री से प्राप्त ₹4,100 नकद व एक अदद मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही

दिनांक 11.11.2026 को थाना कर्नलगंज व परसपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर छितौनी बॉर्डर के पास गोण्डा-जरवल मुख्य मार्ग से ग्राम कोनहटा की ओर जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राका पुत्र राजकुमार महावत एवं सलमान पुत्र राकेश महावत निवासीगण मोहद्दीपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल ₹4,100 नकद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24/25.10.2026 की रात्रि में थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घरकुइयां में वादिनी निर्मला पत्नी राजेन्द्र कश्यप एवं गांव के ही माधवराज यादव पुत्र नकछेद यादव की एक-एक भैंस अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर के बाहर से पिकअप वाहन पर लादकर चोरी कर ली गयी थी। उक्त घटना के संबंध में थाना कर्नलगंज पर मु0अ0सं0 625/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ था।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रात्रि में भैंसों की चोरी करते हैं तथा चोरी की गयी भैंसों को पिकअप वाहन में लादकर बाजार में बेच देते हैं। बिक्री से प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं। अभियुक्तों ने दिनांक 24/25.10.2026 की रात्रि में ग्राम घरकुइयां से दो भैंस चोरी करने तथा दिनांक 22.10.2026 की रात्रि में ग्राम शाहपुर, थाना परसपुर से दो भैंस चोरी करने की घटना में शामिल होना बताया। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि ग्राम शाहपुर से चोरी की गयी भैंसों में से एक भैंस पुलिस द्वारा बरामद कर ली गयी थी, जबकि दूसरी भैंस को बेच दिया गया था। बिक्री से प्राप्त धनराशि में उनके हिस्से में आये शेष ₹4,100 अभियुक्तों के कब्जे से बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. राका पुत्र राजकुमार महावत निवासी मोहद्दीपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर
2. सलमान पुत्र राकेश महावत निवासी मोहद्दीपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 625/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 461/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी

- ₹4,100/- नकद (चोरी की भैंस की बिक्री से प्राप्त धनराशि)।
- एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर, रंग काला, रजिस्ट्रेशन नम्बर UP41AK9396।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अंकित सिंह, चौकी प्रभारी चचरी, थाना कर्नलगंज।
2. उ0नि0 गौरव सिंह, चौकी प्रभारी भंभुवा।
3. उ0नि0 अजय कुमार यादव।
4. म0उ0नि0 निशा निषाद, चौकी प्रभारी शाहपुर, थाना परसपुर।
5. का0 प्रखर।
6. का0 अनिल कुमार।
7. का0 अजीत सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक- 12.11.2026

मिशन शक्ति अभियान 6.0 के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति किया गया जागरूक-

आज दिनांक 12.11.2026 को मिशन शक्ति अभियान 6.0 के अंतर्गत जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर, वजीरगंज, छपिया, कोतवाली मनकापुर एवं मोतीगंज के साथ-साथ अन्य थानो की मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, ग्रामों, विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में महिलाओं एवं बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई तथा घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, शोषण, दहेज उत्पीड़न, बाल अपराध एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के संबंध में जागरूक किया गया। थाना धानेपुर की टीम द्वारा ग्रामीण बैंक कस्बा धानेपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराध एवं घरेलू हिंसा के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं थाना वजीरगंज की टीम द्वारा ग्राम चन्दापुर हवेलिया में महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्र की उपयोगिता, गुड टच-बैड टच तथा महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। थाना छपिया की टीम द्वारा एसडीसीआईटीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट परसा तिवारी एवं ग्राम सांगवा में बालिकाओं से संवाद स्थापित कर मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों तथा महिला एवं बालिका सुरक्षा के उपायों से अवगत कराया गया। इसी क्रम में थाना कोतवाली मनकापुर की एंटी रोमियो/मिशन शक्ति टीम द्वारा कटी तिराहा, बस स्टैंड, चिरैया चौराहा एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। थाना मोतीगंज की टीम द्वारा ग्राम एमवीडी एवं मेमोरियल पब्लिक स्कूल सोठिया में छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा, महिला बीट प्रणाली, एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्यप्रणाली एवं विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही छात्राओं से उनकी समस्याओं एवं हॉटस्पॉट स्थलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

जागरूकता एवं महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर-

इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता प्राप्त करने हेतु इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 1090 – वीमेन पावर लाइन
- 181 – महिला हेल्पलाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 102 – स्वास्थ्य सेवा
- 101 – अग्निशमन सेवा

इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, साइबर ठगी से बचाव, सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने, अज्ञात कॉल एवं संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के संबंध में जागरूक किया गया। कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर जागरूकता संबंधी पम्पलेट वितरित किए गए।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 12.11.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा युवती को बहलाफुसलाकर दूसरे व्यक्ति के साथ भेजने एवं षड्यंत्र में - शामिलवांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही एवं घटना का संक्षिप्त विवरण

थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 717/2026 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकरण में वादी मुकदमा एवं पीड़िता के बयान तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 61(1) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। प्रकरण में अभियुक्ता साफिया खातून द्वारा वादी की पहली पत्नी की पुत्री को शादी कराने का झांसा देकर अभियुक्त नूर आलम के सम्पर्क में लाने तथा उसे अपने साथ बलरामपुर ले जाकर नूर आलम के साथ भेजने का आरोप है। आरोप है कि अभियुक्त नूर आलम द्वारा पीड़िता को श्रावस्ती स्थित होटल में ले जाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया गया। प्रकरण में थाना कोतवाली देहात पुलिस वांछित अभियुक्ता साफिया खातून की तलाश की जा रही थी। दिनांक 11.11.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्ता की तलाश के दौरान मनकापुर बस स्टॉप के पास वादी मुकदमा से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्ता पान की दुकान के पास खड़ी है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से अभियुक्ता साफिया खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता को नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. साफिया खातून पुत्री मकबूल अहमद पत्नी मोहम्मद अली, निवासी जैनी पकड़िया, मौजा नरायनपुर ईधा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01- मु0अ0सं0 717/2026 धारा 69/61(1) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्रवण कुमार वर्मा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
2. कांस्टेबल मनीष कुशवाहा।
3. महिला कांस्टेबल रक्षा वर्मा।
4. महिला कांस्टेबल सोनम सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.11.2026

गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में 03 अभियुक्तों की लगभग ₹90,000/- कीमत की 03 मोटरसाइकिलें कुर्क-

आज दिनांक 12.11.2026 को थाना धानेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्तगण की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही श्रीमान जिलाधिकारी गोण्डा के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी सदर गोण्डा श्री जितेन्द्र कुमार गौतम एवं नायब तहसीलदार सदर गोण्डा श्री जयशंकर सिंह की उपस्थिति में थानाध्यक्ष मोतीगंज तेजनारायण गुप्ता मय हमराही पुलिस बल द्वारा संपन्न की गई। इस दौरान तीन अभियुक्तों की कुल तीन मोटरसाइकिलें, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹90,000/- है, कुर्क की गईं।

कुर्क की गई संपत्ति का विवरण-

1. अभियुक्त अब्दुल गफूर पुत्र रहीश निवासी देवरिया अलावल, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा की मोटरसाइकिल प्लेटिना, रजिस्ट्रेशन नं0 UP43BH2967, अनुमानित कीमत ₹50,000/-।
2. अभियुक्त संतराम यादव पुत्र जमुना यादव निवासी जमुनागंज हाड़ापुरवा, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा की मोटरसाइकिल पैशन प्रो, रजिस्ट्रेशन नं0 UP43L8979, अनुमानित कीमत ₹15,000/-।
3. अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र राम बहादुर निवासी ग्राम हाड़ापुरवा, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, रजिस्ट्रेशन नं0 UP43AL5146, अनुमानित कीमत ₹25,000/-।

कुल कुर्क संपत्ति: 03 मोटरसाइकिलें, अनुमानित कीमत ₹90,000/-।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 04/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

कुर्की की कार्यवाही में उपस्थित अधिकारी-

1. श्री जितेन्द्र कुमार गौतम, उपजिलाधिकारी सदर, जनपद गोण्डा।
2. श्री जयशंकर सिंह, नायब तहसीलदार सदर, जनपद गोण्डा।
3. श्री तेजनारायण गुप्ता, थानाध्यक्ष मोतीगंज।

मीडिया सेल, गोण्डा।